

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II

SECTION 3, SUB-SECTION (1)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NEW DELHI, THE 2.1.1998

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. (E) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54EA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby specified the following shares and debentures as specified securities for the purpose of the said section, namely :-

Equity shares to be issued within a period of one year from the date of publication of this notification by M/s. Techno Telecom (India) Ltd. not exceeding Rs. 40 crores transferable after three years.

Notification No. 10452

(H.K. CHOUDHARY)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

(F.No.178/33/97-ITA-I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3, उपखंड iii में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी, 1998

अधिसूचना

आयकर

का०अ० § 38 आयकर अधिनियम, 1961 का 43 की धारा 54 ड.क की
उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
स्वतंत्रता उक्त धारा के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित श्रेयों और श्रृंखलाओं को
विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात् :-

मैसर्स टेक्नो टेलीकॉम इंडिया लि. द्वारा सामान्य श्रेयों को इस अधिसूचना
की प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाना है, जिनकी
धनराशि चालीस करोड़ रु० से अधिक नहीं होगी और ये सामान्य श्रेय तीन वर्ष के
बाद हस्तांतरणीय होंगे ।

अधिसूचना सं० 10492


सचिव चौधरी
अवर सचिव, भारत सरकार

फा०सं० 178/33/97-आयकर नि० 1

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार प्रेस,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
रानीगंजी गार्डन के समीप, नई दिल्ली ।